हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0–बी0–एफ0(4)–3/2019 दिनांक शिमला–2 8 अप्रैल, 2022.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम–4(1), नियम–7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करतें हैंः–

नियम 4. पात्रताः (1) वृद्धावस्था पैंशनः–

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जायेगी।

नियम 7. पैंशन / भत्ता की दरेंः–

(I) 60–69 आयु वर्ग के पुरूषों और 60–64 आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी।

(II) 65–69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(III) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1700/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (40–69 प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक 01.04.2022 से पैंशन/भत्ता, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगा।

(V) 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 1700/–रू0 प्रति माह देय होगा।

(VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैण्डर पैंशनरों को दिनांक 01.04.2022 से भत्ता/पैंशन 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

8/4/22

Cont..../2

नियम 8. (2) व (3): वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रियाः-

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिनके लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्वता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 8 अप्रैल 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट वुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

8/4/22

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0–बी0–एफ0(9)–4/2018 दिनांक शिमला–2 26 मार्च, 2020.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 के नियम–7 एवं अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2013 दिनांक 13 जून, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करतें हैं:–

नियम–7.पैंशन/भत्ता की दरें:–

विधवाओं व दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन जो वर्तमान में मु0 850 रूपये प्रतिमाह है दिनांक 01-04-2020 से मु0 1000 रूपये प्रतिमाह होगी।

आदेश द्वारा,

(निशा सिंह)
अति0मुख्य0सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2 26 मार्च, 2020.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव मुख्यमन्त्री, हि0प्र0, शिमला–2
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
4. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला–3
6. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
7. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला–9
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला–171001
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला–2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला–171005 ।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Scanned by CamScanner

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

संख्याःएस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2013 दिनांक शिमला–171002 13, जून, 2019.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्य एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा संशोधित सामाजिक सुरक्ष पैंशन नियम 1997 के अनुसरण में उक्त संशोधन के उपबन्ध (7) द्वारा प्रदत शक्तियों क प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत पैंशन की दरों में निम्नलिखि प्रावधान करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

उपबन्ध संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7	पैंशन/भत्ता की दरें	
	(i) वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रॉसजैण्डर को पैंशन 01-04-2018 से ₹ 750/- रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(i) वृद्धावस्था/विधवा/ परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रॉसजैण्डर को पैंशन 01-07-2019 से ₹ 850/-रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों, ट्रॉसजेण्डर को अंपग राहत भत्ता/पैंशन 01-04-2018 से ₹ 1300/- रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को अंपग राहत भत्ता/पैंशन 01-07-2019 से ₹ 1500/-रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों, ट्रॉसजेण्डर को 01-04-2018 से ₹ 1300/- रूपये प्रति माह की दर से पैंशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों, ट्रॉसजेण्डर को 01-07-2019 से ₹ 1500/- रूपये प्रति माह की दर से पैंशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

(निशा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Director
Addl. Director
Joint Director
JD/DD (SCSP)
JD/DD (ESOMSA)
Supdt. G-I
Law Officer
AC (F&A)

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला-2 13, जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1.मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002

2.समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

3.सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

4.प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3

5.समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।

6.निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9

7.निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001

8.संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

9.नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005

10.समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

13/6/2019

विशेष सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)

हिमाचल प्रदेश सरकार।